

कार्यालय आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश।
17, न्यू बेरी रोड डालीबाग, लखनऊ।

पत्रांक कै/1068/ए /विकास अनुभाग/लखनऊ दिनांक. 09/09/2020

1. समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
2. समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उ.प्र.।


विषय:—“पर ड्राप मोर क्रॉप” योजना वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत गन्ने में ड्रिप सिंचाई संयंत्र स्थापित करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या: कै./647/सी./विकास अनुभाग दिनांक-28-01-2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना “पर ड्राप मोर क्रॉप” (माईक्रोइरीगेशन) के अन्तर्गत गन्ना फसल में ड्रिप सिंचाई संयंत्र की स्थापना कराने के लिए वर्ष 2020-21 हेतु 24,978 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित करते हुए उसकी शत-प्रतिशत पूर्ति के निर्देश दिये गये हैं।


दिनांक 07-09-2020 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना “पर ड्राप मोर क्रॉप” (माईक्रोइरीगेशन) के अन्तर्गत गुगल ड्राईव पर अपलोड गन्ना फसल में ड्रिप सिंचाई संयंत्र की स्थापना की सूचना की समीक्षा करने पर पाया गया कि कुल लक्ष्य 24,978 हेक्टेयर के सापेक्ष परिक्षेत्र सहारनपुर में 02 हेक्टेयर, मुरादाबाद में 82 हेक्टेयर, अयोध्या में 26.75 हेक्टेयर, देवीपाटन में 122 हेक्टेयर, गोरखपुर में 13.45 हेक्टेयर तथा परिक्षेत्र देवरिया में 05 हेक्टेयर अर्थात् कुल 251 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ड्रिप इरीगेशन की स्थापना करायी गया है। जबकि परिक्षेत्र मेरठ, बरेली तथा लखनऊ की प्रगति शून्य है।

आप द्वारा उपलब्ध कराये गये एक्सन प्लान में माह अक्टूबर तक ड्रिप सिंचाई संयंत्र स्थापित करने के लक्ष्यों की 15 से 35 प्रतिशत तक पूर्ण किये जाने का उल्लेख किया गया है। परन्तु 06 माह का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी ड्रिप इरीगेशन में मात्र 1 प्रतिशत की ही पूर्ति की गयी है। इससे यह परिलक्षित होता है कि आवंटित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ण आप द्वारा समयान्तर्गत नहीं हो पायेगी।

शरदकालीन गन्ना बुवाई का कार्य प्रारम्भ हो चुका है तथा इसी समय ड्रिप सिंचाई संयंत्र की स्थापना का कार्य कराये जाने में सुगमता होगी। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना “पर ड्राप मोर क्रॉप”



(माईक्रोइरीगेशन) के अन्तर्गत गन्ना फसल में ड्रिप सिंचाई संयंत्र की स्थापना हेतु उपलब्ध कराये गये एक्सन प्लान के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करें।


(संजय आर भूसरेड्डी)


आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी उद्योग, उ.प्र.

पत्रांक: 2/1068/e

तददिनांक: 09/09/2020

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग, उ.प्र. शासन।
2. प्रबन्ध निदेशक, चीनी मिल संघ लि., लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम, लखनऊ।
4. निदेशक, उद्यान विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
5. कृषि निदेशक, उ.प्र. कृषि भवन लखनऊ।
6. मुख्य गन्ना सलाहकार, राज्य चीनी निगम/चीनी मिल संघ लि., लखनऊ।
7. समस्त जिला उद्यान अधिकारी, उ.प्र. द्वारा जिला गन्ना अधिकारी, उ.प्र. को इस आशय से कि वह इस प्रति को अवश्य उपलब्ध कराये।
8. समस्त ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, उ.प्र.।


(आर.पी.यादव)

अपर गन्ना आयुक्त (विकास),
गन्ना एवं चीनी उद्योग, उ.प्र.